रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-811/2018/1537/22-2-2018-17(331)/2016

लखनऊ: दिनांक: 23 अक्टूबर, 2018

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **जिला कारागार, सीतापुर** के सिद्धदोष **बन्दी मैकू (बन्दी संख्या-548/1999) पुत्र श्री जयराम, जो-ग्राम किशुनपुर एच/ओ-गन्धौरी, थाना-सिधौली, जनपद-सीतापुर** का रहने वाला है, जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-01/1983** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-323/149, 302/149, 148** के अधीन **दिनांक 07.01.1984** को **मा0 द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, सीतापुर** द्वारा **आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित** किया गया तथा बन्दी द्वारा दिनांक 15.11.2016 तक 17 वर्ष 11 माह 19 दिन की अपरिहार तथा 23 वर्ष 10 माह 13 दिन की काटी गयी सपरिहार सजा एवं वृद्धावस्था व अशक्तता के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं] तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए **जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

अमर सेन सिंह

विशेष सचिव।

संख्या-811/2018/1537(1)/22-2-2018 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
3- पुलिस अधीक्षक, सीतापुर।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, सीतापुर।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in